न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—33/2021 (2021/112) वादपत्र

अनवान

1. पारस पिता भैरूलाल रेगर निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रोशनलाल पिता धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मंजु पुत्री धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मनीषा पुत्री धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लालीदेवी बेवा धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 10.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 05.10.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 190 में अकिंत आराजी संख्या 213 रकबा 0.08 है0 भूमि में रास्ते की भूमि को शामलाती रखते हुए शेष भूमि मे से वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 10.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 213/2 रकबा 0.04 है0 भूमि पारस पुत्र भैरूलाल रेगर सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 213/1 रकबा [illegible] भूमि रोशनलाल पुत्र धन्ना, मंजु मनीषा पुत्रीया धन्ना लालीदेवी पत्नि धन्ना बलाई [illegible] खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। [illegible] करें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को [illegible] जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–33/2021 (2021/112) वादपत्र

अनवान

1. पारस पिता भैरूलाल रेगर निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रोशनलाल पिता धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मंजु पुत्री धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मनीषा पुत्री धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लालीदेवी बेवा धन्ना बलाई निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 213/2 रकबा 0.04 है0 भूमि पारस पुत्र भैरूलाल रेगर सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 213/1 रकबा 0.04 है0, भूमि रोशनलाल पुत्र धन्ना, मंजु मनीषा पुत्रीया धन्ना लालीदेवी पत्नि धन्ना बलाई सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 10.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

10.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested